Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 165/2014

Makhan Das & Ors ..... Appellant.

Versus

Birbal Das & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.07.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, पूर्णिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–344/2012–13 में दिनांक–08.10.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बेलौरी, थाना–रानीपतरा, खाता सं0–505, खेसरा सं0–704, 707, 708, 709 एवं 713 कुल रकवा–1.56 एकड़ भूमि भूदान यज्ञ समिति द्वारा दिनांक–05.08.1954 को वंशू दास को दान–पत्र के माध्यम से प्राप्त है। जो संपुष्टि वाद सं0–1905 एवं 1894 दिनांक–02.08.1957 द्वारा संपुष्ट है। वंशू दास अपीलार्थी की पत्नी स्व0 अनिता देवी के ननिया ससुर (नाना ससुर) हैं। अपीलार्थी की पत्नी की सास मसो0 सानी देवी स्व0 वंशू दास की एकलौती वैध उत्तराधिकारी थी। दान–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् उक्त भूमि पर वंशू दास शांतिपूर्ण दखलकार हुए। इनकी मृत्यु पश्चात् उनकी इकलौती उत्तराधिकारी सानी देवी प्रश्नगत भूमि पर दखलकार रही। सानी देवी की मृत्यु उपरांत माखन दास एवं इनकी पत्नी अनिता देवी तथा लाखन दास एवं उनकी पत्नी उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार हैं। निम्न न्यायालय द्वारा दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। प्रश्नगत भूमि का खतियान अपीलार्थी की पत्नी के नाना ससुर वंशू दास का नाम दर्ज है और ये बिहार सरकार को भू–लगान भुगतान करते रहे हैं। इनकी मृत्यु पश्चात् इनके वारिसानों द्वारा भू–लगान भुगतान किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी सं0–638 इनके पक्ष में दर्ज है। वर्ष 2012 दंड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत उत्तरवादियों के विरूद्ध पुलिस प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। भू–दानी किसान की मृत्यु पश्चात् अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष में नामांतरण का प्रयास किया गया जो अंचल, अमला के कारण निष्फल	

Web Copy Not Official.

		रहा। उत्तरवादी असामाजिक तत्वों के मेल में लेकर इस गरीब महिला की भूमि हड़पना चाहते हैं जबकि वे समाज के धनी श्रेणी के व्यक्ति हैं। इनके द्वारा प्रश्नगत भूमि पर कच्चा संरचना का कार्य किया गया है। उत्तरवादी के द्वारा क्रमशः	
	लगातार 20.07.2023	प्रश्नगत भूमि का जाली दस्तावेज अपने पक्ष में बनवा लिया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील कालबाधित तथा पक्षकार दोषग्रसित होने एवं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि पर वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रस्तुत वाद में सार्वा देवी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वंशू दास को कोई पुत्र नहीं होने के कारण उनके द्वारा फागू दास के पिता परमेश्वर दास को गोद लिये थे। उक्त भूमि का आधा हिस्से इन्हें प्राप्त है। अपीलार्थी द्वारा सुखनू पासवान एवं अन्य को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो प्रश्नगत जमीन पर इंदिरा आवास योजना अंतर्गत पक्का मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। वर्ष 1987 में आये बाढ़ के समय से ही उत्तरवादी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर घर बनाकर निवास किया जा रहा है। उत्तरवादी श्याम दास को भी प्रश्नगत भूमि से 0.4 डी0 का भू–दान पर्चा प्राप्त है जिसपर ये निवास करते हैं। प्रस्तुत मामला उभय पक्षों के बीच स्वत्व के संशलिस्ट प्रश्न एवं बँटवारा से जुड़ा हुआ है। धारा 107 के अंतर्गत पारित आदेश अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, पूर्णिया द्वारा दिनांक–11.06.2014 को निरस्त किया जा चुका है। अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है जो लंबित है। निम्न न्यायालय द्वारा न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। जिला भू–दान कार्यालय मंत्री रानीपतरा, पूर्णिया द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए कहा है कि प्रश्नगत रकवा पर प्रतिवादी बीरबल दास एवं अन्य 25 गरीब परिवार टीनफूस का घर बनाकर 40 वर्षों से दखलकार हैं। स्थलीय जाँच पर भी इन्हें कई गैर रैयत भूमिहीन परिवारों का वर्ष 1986–87 से ही आवासीय दखल–कब्जा पाया गया है। इन्होंने मूल रूप से अनुरोध किया है कि वंशू दास के पक्ष में निर्गत भू–दान प्रमाण–पत्र रद्द करते हुए वर्त्तमान दखलकारों के हित में बंदोबस्ती हेतु समुचित आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि संपुष्टि पश्चात् वंशु दास को भू–दान यज्ञ समिति द्वारा प्राप्त है। जिसपर वे दखलकार रहते हुए अपने पक्ष में नामांतरण कराकर भू–लगान भुगतान कर रहे थे। इनके पक्ष में जमाबंदी सं0–638 दर्ज है। निम्न न्यायालय द्वारा मामले का विधिसम्मत् विचारण नहीं किया गया है। जिसे पोषणीय नहीं	

Web Copy, Not Official.

		माना जा सकता है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है तथा प्रस्तुत मामले को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, पूर्णिया के समक्ष इस निदेश के साथ विप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मामले से संबंधित भू–दान यज्ञ समिति सहित सभी आवश्यक पक्षों की सुनवाई करते हुए संबंधित अंचलाधिकारी से प्रश्नगत भूमि से संबंधित तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त कर युक्तियुक्त समयान्तर्गत मामले के क्रमशः	
	लगातार 20.07.2023	गुण–दोष (Ment) पर विचारण करते हुए मुखर आदेश पारित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.